संख्या:3/2015/968/12-2-2015-बजट.7/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2015

विषय: लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों को बढावा देने की योजना मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: एस0एफ0/1481 जी/लेखा-2/2014-15 दिनांक 24 फरवरी, 2015 तथा पत्र संख्या: एस0एफ0 1558 जी/लेखा-2/2014-15 दिनांक 09 मार्च, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संकर बीजों को बढावा देने की योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजनान्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी से लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों पर बढावा देने की योजनान्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी में पुनर्विनियोग (फार्म बी0एम-9 भाग-1 संलग्न) के माध्यम से रू0 135000 हजार (रूपया तेरह करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय इसी वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त योजना के लिए ही किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों व निर्धारित प्रक्रिया का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों पर बढावा देने की योजनान्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी से पुनर्विनियोग (बी0एम0-9 संलग्न) के अनुसार आहरित की जायेगी।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों को बढावा देने की योजना मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 3/2015/968 (1)/12-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभग-1 को बी0एम0-9 की 03 प्रतियों सहित।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।